

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2025 पौष 23, शक 1946

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

## आदेश

क्र. 3865/आर-1851162-2024-बी-1-दो.- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 308 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा, जिला एवं तहसील स्तर पर, श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक साधनों से साक्षी की परीक्षा के लिए समय-समय पर स्थापित वीडियोकान्फ्रेंसिंग (वीसी) रूम को, अभिहित स्थान के रूप में, अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव राजपूत, सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र. आर-1851162-2024-बी-1-दो.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव राजपूत, सचिव.

No. 3865 R-1851162-2024-B-1-Two.

Bhopal, the 13<sup>rd</sup> January 2025

In exercise of the powers conferred by section 308 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the State Government, hereby, notifies that the Video Conferencing (VC) Rooms as designated places, which have been established to examine the witnesses through audio-video electronic means, from time to time, at the District and Tehsil level through the High Court of Madhya Pradesh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
GAURAV RAJPUT, Secy.